न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री विवेक व्यास ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 31/2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1.सुगनाराम पुत्र बस्तीराम 2.चेलाराम पुत्र बस्तीराम 3.श्रीमती रम्भा पत्नी बस्तीराम 4.श्रीमति गोमतीदेवी पत्नी रामाराम 5.चुतराराम पुत्र बस्तीराम जाति सुथार 6.भागीरथ पुत्र रामाराम जाति सुथार नाबालिग जरीयें कुदरती वलीमाता श्रीमति गोमीदेवी पत्नी रामाराम सुथार निवासी आसराबा चौहान तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1.खंगारराम पुत्र चमनाराम 2.छगनाराम पुत्र चमनाराम जाति कलबी निवासी–आसराबा,चौहान तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर 3राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार कल्याणपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री जेठाराम सिंहल व श्री रामेश्वरलाल गहलोत,वकील [illegible] की ओर से उपस्थित।

2.विप्रार्थी एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:30:19 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक– 16/6/2023

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 224/82 क्षेत्रफल 0.4532 हैक्टयर ग्राम आसराबा चौहान तहसील कल्याणपुर में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 01 व 2 का खातेदारी खेत खसरा संख्या 80 व विप्रार्थी संख्या 03 का खसरा संख्या 91 भूमि आई हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी की उक्त खसरे में से चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन रेकर्ड में कटाण नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है, जिससे प्रार्थीगण को सड़क तक आने जाने में समस्या आती है। इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है,और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण ने ग्राम आसराबा चौहान तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 80 व 91 भूमि में से होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि नक्शा परिशिष्ट अ में दर्शाए मार्क ए से बी तक बरंग लाल के रास्ता चौड़ा 30 फीट का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित की गई। विवादित भूमि की मौका जांच रिर्पोट तहसीलदार कल्याणपुर से तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:30:19 IST
Reason: SelfAttested

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन [illegible] को दोहरातें हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 224/82 क्षेत्रफल 0.4532 हैक्टयर ग्राम आसराबा चौहान तहसील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कल्याणपुर में अवस्थित है। उक्त खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी संख्या 01 व 2 का खातेदारी खेत खसरा संख्या 80 व विप्रार्थी संख्या 03 का खसरा संख्या 91 भूमि आई हुए है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थी की उक्त खसरे में सें चल रहे कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में रास्ता कटाण नहीं होने के कारण विप्रार्थी द्वारा रोक टोक की जाती रहती है,इस कारण प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योकि उक्त प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता विकल्प है,तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अपनी बहस को आगे ओर जारी रखतें हुए कथन किया कि विवादित भूमि की तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा मौका जांच की गई,और अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता दिए जाने की अनुशंषा की गई है अतः तहसीलदार कल्याणपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी पक्ष को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात व मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। बाद गौर पाया कि प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी खेत ग्राम आसराबा चौहान तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 224/82 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचने के लिए बीच खसरा संख्या 80 व 91 [illegible] होकर [illegible] रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया। जिसमें तहसीलदार कल्याणपुर से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय के आदेश दिनांक 17.2.2[illegible] के द्वारा तलब की गई। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:30:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

मौका जांच कर रिर्पोट पत्र क्रमांक 250/30.3.2023 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 224/82 से होकर मुख्य सड़क तक पंहुचनें के लिए आवागमन हेतु निकट और उपयुक्त भूमि खसरा संख्या 80 व 91 में से प्रस्तावित है,जो अन्तिम विकल्प रास्ता है। इस प्रकार तहसीलदार कल्याणपुर, की जांच रिपोर्ट में खसरा संख्या 80 व 91 में ही रास्ता प्रस्तावित किया है। इससे स्पष्ट है,कि उक्त प्रस्तावित रास्तें के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है और प्रस्तावित रास्ता ही अन्तिम विकल्प रास्ता है,जो प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा भी प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की गई है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन स्वीकार किये जाने की विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से मौन स्वीकृति है। यदि उजर एतराज होता तो आपति पेश करते,लेकिन ऐसा नहीं किया गया। विप्रार्थी संख्या 03 द्वारा खसरा संख्या 91 में ही रास्ता प्ररतावित बताया है,इससे स्पष्ट है कि विप्रार्थी संख्या 03 को भी रास्ता स्वीकृति संबधी कोई आपति नहीं है। क्योंकि स्वंय विप्रार्थी संख्या 03 द्वारा ही रास्ता प्रस्तावित किया है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदार को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार खसरा संख्या 80 में से प्रस्तावित रकबा 0.02 बिस्वा भूमि की राशि–4984/–अक्षरे चार हजार नौ सौ चौरासी रूपयें मात्र विप्रार्थी संख्या 1 व 02 को राशि दी जानी प्रस्तावित है एवं खसरा संख्या 91 में से प्रस्तावित रकबा 0.05 बिस्वा भूमि की राशि–12460/–अक्षरें बारह हजार चार सौ साठ रूपयें मात्र विप्रार्थी [illegible] को राशि दी जानी प्रस्तावित हैं। उपर्युक्त विवेचन [illegible] है,कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते, के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:30:19 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण रास्ता पाने के हकदार है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है। उपरोक्त विवेचन उपरांत प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6.लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम आसराबा चौहान तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 80 में से प्रस्तावित रकबा 0.02 बिस्वा भूमि की क्षतिपूर्ति राशि–4984/–अक्षरे चार हजार नौ सौ चौरासी रूपयें मात्र विप्रार्थी संख्या 1 व 02 को एवं खसरा संख्या 91 में से प्रस्तावित रकबा 0.05 बिस्वा भूमि की क्षतिपूर्ति राशि–12460/–अक्षरें बारह हजार चार सौ साठ रूपयें मात्र विप्रार्थी संख्या 03 को भुगतान करतें हुए तहसीलदार कल्याणपुर के पत्र क्रमांकः राजस्व /2023/250 दिनांक 30.3.2023 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित नक्शे में ए से बी 30 गढा यानि 198 फीट व बी से सी 14 गढा यानि 92 फीट लम्बाई व चौड़ाई 20 फीट बरंग लाल दर्शाये अनुसार रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को क्षतिपूर्ति कुल राशि–17,444/–अक्षरे सत्रह हजार चार सौ चौवालीस रूपयें तहसील कार्यालय कल्याणपुर में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार कल्याणपुर को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कल्याणपुर के पत्र कमांकः राजस्व/ 2023/250 दिनांक 30.3.2023 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त [illegible] का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:30:19 IST
Reason: SelfAttested

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 16.6.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा